

न्यायालय:-प्रथम अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क मांक 51ए/2014 इ०दी०

संस्थापित दिनांक 4-08-2014

1. रामशंकर शर्मा आयु 54 साल,
 2. बृजकिशोर शर्मा आयु 51 साल,
 3. ओमप्रकाश शर्मा आयु 49 साल,
 4. राधेश्याम शर्मा आयु 47 साल, पुत्रगण श्री
ग्याप्रसाद ग्राम चन्देखर जाति ब्रा० निवासी ग्राम
चन्दोखर परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०
- वादीगण

बनाम

1. श्रीमती बालाश्री पत्नी स्व० बृजमोहन शर्मा आयु
56 साल जाति ब्रा० निवासी ग्राम चन्दोखर
परगना गोहद हाल निवास ग्राम जामुना तहसील
जिला भिण्ड म०प्र०
2. शेलेश कुमार आयु 29 साल,
3. प्रमोद कुमार आयु 26 साल पुत्रगण दयाशंकर
शर्मा,
4. धर्मेन्द्र कुमार आयु 27 साल,
5. अनिल कुमार आयु 22 साल, पुत्रगण
कमलकिशोर शर्मा समस्त जाति ब्रा० निवासीगण
ग्राम जामुना तहसील व जिला भिण्ड म०प्र०
6. म०प्र० राज्य शासन द्वारा श्रीमान् कलेक्टर
महोदय जिला भिण्ड म०प्र०

----- प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रतिवादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

नि-र्ण-य

// आज दिनांक 29-04-2016 को घोषित किया गया //

01. वादीगण के द्वारा वर्तमान दावा ग्राम चन्दोखर, तहसील गोहद में स्थित भूमि खसरा कं0 153 रकवा 0.47, 196 रकवा 1.18, 795 रकवा 0.79, 1547 रकवा 0.49, 2090 रकवा 0.28, कुल किता 5 कुल रकवा 3.21 हे0, के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा उक्त भूमियों का प्रतिवादी कं0 1 के द्वारा प्रतिवादी कं0 2 लगायत 5 के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र कंमाक 3758 दिनांक 18.07.2.14 को अपास्त किये जाने वाबत् पेश किया गया है।

02. प्रकरण में यह अविवादित है कि भूमि खसरा कं0 153 रकवा 0.47, 196 रकवा 1.18, 795 रकवा 0.79, 1547 रकवा 0.49, 2090 रकवा 0.28, कुल किता 5 कुल रकवा 3.21 हे0, ग्राम चन्दोखर तहसील गोहद में स्थित है। यह भी अविवादित है कि प्रतिवादिया कं01 बालाश्री के बृजमोहन शर्मा पति थे जिनकी कि दिनांक 17-7-12 को मृत्यु हो चुकी है। वादीगण स्वर्गीय बृजमोहन के भाई हैं।

03. वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि पद कं01 में वर्णित वादग्रस्त भूमियां वादीगण की पैत्रिक कृषि भूमियां हैं। उक्त कृषि भूमियों पर वादीगण काबिज होकर खेती कर रहे हैं। बृजमोहन वादीगण के बड़े भाई थे और अपने छोटे भाइयों से विशेष स्नेह भी रखते थे। वादीगण के सगे भाई स्व0 बृजकिशोर शर्मा शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण उस पर खेती नहीं करते थे। उनके जीवनकाल में ही वादीगण उस पर काबिज होकर खेती करते थे और उससे जो फसल पैदा होती थी उसमें मजदूरी आदि खर्चा काटकर अपने भाई स्व0 बृजमोहन शर्मा को देते थे जिससे वह अपना जीवन यापन करते थे। उनके भाई बृजमोहन की मृत्यु दिनांक 17-7-12 को हो गयी है। प्रतिवादिया कं01 श्रीमती बालाश्री उनके भाई बृजमोहन की पत्नी है। बृजमोहन एवं बालाश्री के कोई पुत्र एवं पुत्री सन्तान नहीं है। बृजमोहन जो कि शारीरिक रूप से कमजोर थे अपनी पुस्तेनी संपत्ती खुद बुर्द न हो और उस पर कोई विवाद न हो तथा अपने भाइयों से विशेष स्नेह होने के कारण अपने जीवन काल में ही उक्त विवादित अपनी कृषि भूमियों को दिनांक 10-1-12 को वादीगण के पक्ष में बसीयत कर व्यवस्था कर दी थी।

04. वादीगण ने अपने दावे में यह भी बताया है कि बृजमोहन शर्मा के द्वारा अपने जीवन काल में की गयी वसीयत की व्यवस्था के अनुसार प्रतिवादी कं01 श्रीमती बालाश्री के नाम उपरोक्त पुस्तेनी जमीन पर नाम दर्ज करा दिया। लेकिन कब्जा पूर्व की भांति वादीगण का ही रहा और वही उस पर काबिज होकर खेती करते रहे। उक्त भूमियों पर केवल दृष्टमान स्वामी के रूप में नामान्तरण की कार्यवाही करा दी। जबकि वास्तव में कब्जा उस पर वादीगण

का ही रहा। प्रतिवादी कं01 श्रीमती बालाश्री को वादग्रस्त भूमियों पर पूर्ण स्वामी के अधिकार प्रदान नहीं किये गये थे। उसे वादग्रस्त संपत्ती को बिक्रय करने का कोई अधिकार भी नहीं था और न ही उसे बिक्रय करने की कोई वैधानिक आवश्यकता थी। प्रतिवादी कं02 लगायत 5 जो कि प्रतिवादी कं01 के सगे भतीजे (भाई के लडके) थे, उनके द्वारा प्रतिवादी कं 1 को बहला फुसलाकर वगैर किसी प्रतिफल के वादग्रस्त संपत्ती का बिक्रयपत्र दिनांक 18-7-14 को अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया। उक्त बिक्रयपत्र दिखावटी है और छल कपट एवं बेईमानीपूर्वक निष्पादित किया गया है। बिक्रयपत्र के अनुसार कोई भी प्रतिफल प्रतिवादी कं.1 को प्राप्त नहीं हुआ है। बिक्रयपत्र के अनुसार कोई कब्जा भी प्रतिवादी कं02 लगायत 5 को प्रदान नहीं किया गया क्योंकि उस पर वादीगण का ही कब्जा रहा है। इस प्रकार उक्त बिक्रय पत्र वादीगण के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य है।

05. वादीगण ने अपने दावे में आगे यह भी बताया है कि प्रतिवादी कं0.2 लगायत 5 के द्वारा दिनांक 20-7-14 को यह धमकी दी गयी कि वादग्रस्त भूमि का उनके द्वारा वयनामा करा दिया है और वह उस पर कब्जा करेंगे। तब वादीगण के द्वारा गोहद रजिस्ट्रार कार्यालय से दिनांक 24-7-14 को बिक्रयपत्र की नकल प्राप्त की तो उन्हें बिक्रयपत्र निष्पादित किये जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुयी। उक्त दिखावटी बिक्रयपत्र के आधार पर प्रतिवादी कं02 लगायत 5 राजस्व अधिकारियों से मिलकर उस पर नामान्तरण कराने के लिये प्रयत्नशील हैं। जिससे वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वादीगण को दिनांक 24-7-14 को बिक्रयपत्र की नकल प्राप्त होने पर वादकारण उत्पन्न हुआ है। बिक्रयपत्र में प्रतिफल की राशि 7062000/- सत्तर लाख वासठ हजार रुपये अंकित होने के आधार पर उक्त अनुसार दावे का मूल्यांकन करते हुये वादीगण को वादग्रस्त भूमियों का वसीयतनामा दिनांक 10-1-12 के आधार पर भू स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किये जाने, प्रतिवादी कं01 द्वारा प्रतिवादी कं0 2 लगायत 5 के हक में निष्पादित बिक्रयपत्र कं0 3758 दिनांक 18-7-14 वादीगण के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य घोषित किये जाने और वादग्रस्त संपत्ती पर वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से निषेधित करने तथा अन्य सहायता दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

06. प्रतिवादी कं0 1 लगायत 5 के द्वारा अपने जवाब में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वादीगण के वाद पत्र के शेष अभिवचनों से इन्कार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैत्रिक भूमि नहीं है और उस पर वादीगण के द्वारा बृजमोहन के जीवन काल या उसके उपरांत खेती नहीं की गयी। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादिया कं01 के पति बृजमोहन शर्मा के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमियां थीं। बृजमोहन की मृत्यु के पश्चात्

उनकी एक मात्र बारिस उनकी पत्नी प्रतिवादिया कं.1 को उनकी भूमियों पर स्वत्व व आधिपत्य हुआ और उसका नामान्तरण होकर उसका भू स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज भी हुआ है। प्रतिवादिया कं01 को वादग्रस्त भूमि का पूर्ण भू स्वामी एवं अधिकार प्राप्त हुये।

07. प्रतिवादीगण ने आगे अपने जवाब में यह भी बताया है कि वादग्रस्त भूमियों पर अपने जीवन काल में बृजमोहन भाडे से खेती कराते थे। वादग्रस्त भूमियों के संबंध में बृजमोहन शर्मा के द्वारा अपने जीवन काल में अथवा कभी भी कोई व्यवस्थापन नहीं किया और न ही दिनांक 10-1-12 को कोई वसीयत वादीगण के हक में निष्पादित की गयी। वसीयतनामा बाद में बृजमोहन की मृत्यु के पश्चात् फर्जी तैयार किया गया है और उस पर बृजमोहन के हस्ताक्षर फर्जी बनाये गये हैं। प्रतिवादी कं01 जो कि वादग्रस्त भूमि की पूर्ण स्वामिनी है उसे उन्हें बिक्रय करने का पूर्ण अधिकार भी प्राप्त है। उसके द्वारा अपने निजी खर्च तीर्थ यात्रा आदि हेतु वादग्रस्त भूमियों को प्रतिवादी कं02 लगायत 5 के पक्ष में दिनांक 20-7-14 को प्रतिफल प्राप्त कर विधिवत् बिक्रयपत्र निष्पादित किया गया है। बिक्रयपत्र के पश्चात् प्रतिवादी कं0 2 लगायत 5 का उस पर कब्जा है। वादीगण को किसी प्रकार की कोई धमकी प्रतिवादीगण के द्वारा नहीं दी गयी। वादी के द्वारा दावे के मूल्यांकन के अनुसार न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है। वाद कारण के बिना वादीगण के द्वारा दावा पेश किया गया है। अतिरिक्त आपत्ती में प्रतिवादीगण के द्वारा यह भी बताया गया है कि विवादित भूमि बृजमोहन शर्मा की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकार में प्रतिवादी कं01 को प्राप्त हुआ जिसका कि प्रतिवादी कं01 के पक्ष में वादीगण की सहमति के आधार पर नामान्तरण भी ग्राम सभा में स्वीकार किया गया है। वादग्रस्त भूमियों का विभाजन भी हो चुका है। इस प्रकार वादीगण की जानकारी में प्रतिवादी कं01 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जो कि बटबारे में प्राप्त होने के उपरांत उसे प्राप्त हुयी है। उसका स्वरूप उसकी स्वअर्जित संपत्ती का है। जिसके विरुद्ध कहने के लिये वादीगण बिबंदित हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार वादग्रस्त संपत्ती प्रतिवादी कं01 मात्र पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य की होगी और उसे अन्तरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा भी नहीं है। ऐसी दशा में कब्जे की सहायता के बिना दावा प्रचलन योग्य नहीं है। वादीगण का दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

08. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी उनके निष्कर्ष विवेचना उपरांत उनके सम्मुख अंकित किये जा रहे हैं :-

क्र०	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या ग्राम चंदोखर परगना गोहद स्थित भूमि खसरा क्रमांक 153 रकवा 0.47, 196 रकवा 1.18, 795 रकवा 0.79, 1547 रकवा 0.94, 2090 रकवा 0.28 कुल रकवा 3.21 हेक्टेयर वादीगण की पैत्रिक कृषि भूमि है ?	
2	क्या विवादित भूमियां वादीगण के आधिपत्य में हैं ?	
3	क्या वादीगण स्वर्गीय बृजमोहन शर्मा के द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 10-1-12 को निष्पादित वसीयतनामों एवं उसमें की गयी व्यवस्थापन के अनुसार वादग्रस्त भूमियों के स्वामी हुये ?	
4	क्या वादग्रस्त भूमियों के संबंध में प्रतिवादी क्र० 1 के द्वारा प्रतिवादी क्र० 2 लगायत 5 के संबंध में निष्पादित बिक्रयपत्र दिनांक 18-7-2014 वादीगण के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य दस्तावेज है ?	
5	क्या वादीगण के द्वारा वाद का उचित रूप से मूल्यांकन कर उचित न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	
6	क्या वादीगण का दावा वैधानिक रूप से प्रचलन योग्य है ?	
7	सहायता एवं व्यय ?	

// निष्कर्ष के आधार //

बिन्दु क्रमांक 5 :-

09. प्रतिवादी के द्वारा अपने जवाब में यह अभिवचन किया गया है कि वादी ने बिक्रयपत्र के मूल्य 7062000/-रुपये पर न्यायशुल्क अदा नहीं किया है, जबकि वादी को बिक्रयपत्र के मूल्य के आधार पर न्यायशुल्क अदा करना चाहिये था इस कारण वादी का दावा प्रचलन योग्य नहीं है।

10. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। वादीगण के द्वारा वर्तमान दावा स्वत्व की घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा तथा बिक्रय पत्र दिनांक 18-7-14 को अपास्त किये जाने बाबत इस आधार पर पेश किया है कि प्रतिवादी क्रमांक -1 के द्वारा विवादित भूमियों को बिक्रय करने का अधिकार न होने के उपरांत भी और उसे इस संबंध में कोई वैधानिक आवश्यकता भी न होने के उपरांत भी उसके द्वारा बिना प्रतिफल के 7062000/-रुपया दर्शाते हुये बिक्रयपत्र संपादित करा दिया गया है और इस आधार पर दावे का मूल्यांकन 7062000/-रुपये कायम किया गया है। जिस पर स्वत्व घोषणा हेतु 2000/- रुपये और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद का मूल्य 400/-रुपये कायम किया जाकर 100/- रुपये न्यायशुल्क अदा किया गया है।

11. बिक्रयपत्र दिनांक 18-7-14 जो कि प्रतिवादी क्रं01 के द्वारा प्रतिवादी क्रं0 2 लगायत 5 के पक्ष में निष्पादित किया गया है। उक्त बिक्रयपत्र में वर्तमान वादीगण पक्षकार के रूप में नहीं हैं। वादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि को उनके स्वामित्व की भूमि होना बताते हुये और उनके साथ छल कपट किया जाकर बिक्रयपत्र निष्पादित किया जाना अभिकथित किया है। ऐसी दशा में जबकि बिक्रयपत्र में वादीगण पक्षकार नहीं हैं वादीगण के द्वारा उनके साथ छल कपट किये जाने के आधार पर बिक्रय करने का प्रतिवादी क्रं.1 को अधिकार न होने के बिना भी उसके द्वारा बिक्रयपत्र वादीगण के स्वत्वों को प्रभावित करने के लिये निष्पादित किया जाना बताते हुये बिक्रयपत्र उनके मुकाबले व्यर्थ व शून्य घोषित किये जाने की सहायता चाही गयी है। इस परिप्रेक्ष्य में वादीगण जो कि बिक्रयपत्र के पक्षकार नहीं हैं ओर उनके साथ छल कपट होना कहते हुये बिक्रयपत्र को अपास्त किये जाने की सहायता चाह रहे हैं। बिक्रयपत्र के मूल्य के अनुसार न्यायशुल्क अदा किया जाना आवश्यक नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में वादीगण के द्वारा दावे का मूल्यांकन उचित रूप से किया जाना और उस पर उचित न्यायशुल्क अदा किया जाना पाया जाता है। तदनुसार उक्त विचारणीय बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "हां" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 1 व 2 :-

12. वादीगण के अभिवचन के अनुसार ग्राम चन्दोखर परगना गोहद स्थित भूमि खसरा क्रमांक 153 रकवा 0.47, खसरा क्रमांक 196 रकवा 1.18, खसरा क्रं. 795 रकवा 0.79, खसरा क्रं. 1547 रकवा 0.49, खसरा क्रं. 2090 रकवा 0.28 कुल 5 किता रकवा 3.21 हे० वादीगण की पैत्रिक भूमि है जिस पर कि उनका कब्जा होकर उनके द्वारा खेती की जा रही है। वादीगण के द्वारा एक अन्य सगे भाई स्वर्गीय बृजमोहन शर्मा जो कि शारीरिक रूप से कमजारे होने के कारण स्वयं खेती नहीं करता था, उनके जीवनकाल से ही वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर खेती करते थे और जो फलस उनके जीवनकाल में होती थी उसमें से मजदूरी व खर्चा काटकर बृजमोहन को देते थे जिससे अपना जीवन यापन करते थे। बृजमोहन की मृत्यु के पश्चात् उनकी विधवा पत्नी प्रतिवादी क्रमांक 1 बालाश्री का विवादित पुस्तैनी जमीन पर नामांतरण दृष्यमान स्वामी के रूप में करा दिया था, लेकिन कब्जा वादीगण का ही उस पर रहा। प्रतिवादी क्रमांक 1 बालाश्री वादी क्रमांक 1 रामशंकर के साथ ही रहती थी और उनके द्वारा ही उसकी हर प्रकार की व्यवस्था की जाती थी। जबकि प्रतिवादी पक्ष के द्वारा बादग्रस्त भूमियों को वादीगण की पैत्रिक कृषि भूमि होने से साफतौर से इन्कार किया है। उनके अनुसार बादग्रस्त भूमि जो कि बृजमोहन के स्वामित्व की थी उस पर उनके जीवनकाल तक उनका ही आधिपत्य रहा और उनके द्वारा ही खेती कराई जाती रही। बृजमोहन की मृत्यु के पश्चात् उसका एक मात्र वारिस प्रतिवादी क्रमांक 1 की खेती होकर उस पर काबिज हुई। उनकी भूमियों में से कुछ भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा विधिवत प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 5 को बिक्रय कर उसका आधिपत्य उन्हें दे दिया गया जिस पर कि प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 5 का आधिपत्य है।

13. इस प्रकार वादी बादग्रस्त सम्पत्ति को पैत्रिक कृषि भूमि होना अभिकथित किया है। इस संबंध में कि वादग्रस्त सम्पत्तियाँ वादीगण की पैत्रिक सम्पत्तियाँ हैं प्रारंभिक रूप से यह प्रमाणित करना होगा कि उक्त सम्पत्ति का स्वरूप पैत्रिक सम्पत्ति का है।

14. वादी रामशंकर शर्मा वा०सा० 1 अपने साक्ष्य कथन में उसके अभिवचनों का समर्थन करते हुए वादग्रस्त भूमि को पैत्रिक कृषि भूमि होनी बताया है जो कि उनके सगे भाई स्वर्गीय बृजमोहन शर्मा शारीरिक रूप से कमजोर होने से स्वयं खेती नहीं कर पाना और उनके जीवनकाल से ही वादीगण का उस पर काबिज होकर खेती करना बताया है। बृजमोहन की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा होकर खेती करना उसके द्वारा बताया गया है। उक्त भूमियों पर बृजमोहन की मृत्यु के पश्चात् मात्र उस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का नामांतरण कर दिया जाना जबकि वास्तव में उस पर वादीगण ही काबिज रहे हैं। इस संबंध में

वादी के द्वारा ग्राम चन्दोखर की खसरा पांच साला वर्ष 2013-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 3 पेश की गई है।

15. उपरोक्त संबंध में वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामदास वा0सा0 2, संग्राम वा0सा0 3, रामप्रकाशसिंह वा0सा0 4, देवेन्द्र सिंह वा0सा0 5 के द्वारा भी वादग्रस्त भूमियों को वादीगण की पुस्तैनी भूमि होना और उस पर वादीगण का कब्जा होना अपने मुख्य परीक्षण के दौरान बताया गया है।

16. प्रतिवादिया बालाश्री प्र0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि वादग्रस्त भूमियों के एकाकी भू-स्वामी व आधिपत्यधारी उसके पति स्वर्गीय बृजमोहन शर्मा थे और बृजमोहन शर्मा जबतक जीवित रहे तब तक उक्त भूमियों पर खेती करते थे और उनकी मृत्यु के पश्चात् उसका भू-स्वामित्व की उक्त भूमियाँ हुई और उसके द्वारा उन पर खेती कराई जाने लगी। प्रतिवादिया ने यह भी बताया है कि उसके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमियों को बिक्रय कर प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 5 को उनका आधिपत्य सौंप दिया है और उनका ही उस पर आधिपत्य है। इस संबंध में प्रतिवादी साक्षी शैलेस कुमार प्र0सा0 2, रजनीश शर्मा प्र0सा0 3 और हरिमोहन शर्मा प्र0सा0 4 के द्वारा यह बताया गया है कि अपने जीवनकाल तक बृजमोहन शर्मा विवादित भूमियों पर खेती करते थे और उनकी मृत्यु के बाद उस पर बालाश्री के द्वारा खेती की गई। बालाश्री के द्वारा भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 5 को बिक्रय करने के पश्चात् उनका ही उस पर आधिपत्य रहा है।

17. इस बिन्दु पर वादी रामशंकर प्रतिपरीक्षण के दौरान उसके कथन की कंडिका 11 में आई हुई स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने इस बात को स्वीकार किया है कि विवादित भूमि का बँटवारा उसके एवं उसके भाई बृजमोहन शर्मा के समय से ही उनके बीच हो चुका है और इस बात को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर उनके सभी भाईयों का अलग अलग हिस्सा था और अलग अलग स्वामी थे। साक्षी ने इसी कंडिका में इस बात को भी स्वीकार किया है कि बृजमोहन की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की कृषि भूमि पर उसकी पत्नी बालाश्री का नामांतरण हो चुका है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि बालाश्री को नामांतरण उसने एवं उसके अन्य भाईयों के द्वारा करवाया गया है। इसी कंडिका के अंत में वादी के द्वारा स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि बृजमोहन के जीवनकाल में उनके हिस्से की खेती वही करवाते थे। इस बिन्दु पर वादी के अन्य साक्षी संग्राम शर्मा वा0सा0 3 के द्वारा भी कंडिका 7 में विवादित भूमि पर एकाकी रूप से बृजमोहन के नाम होना स्वीकार किया है और कंडिका 8 में इस बात को स्वीकार किया है कि विवादित जमीन पर बृजमोहन अपने जीवनकाल में खेती करता था। इसी प्रकार वादी साक्षी रामप्रकाश

वा०सा० 4 एवं साक्षी देवेन्द्र वा०सा० 5 के द्वारा भी विवादित भूमि बृजमोहन के नाम पर होने और सभी भाईयों का जमीन का बटवारा बृजमोहन के जीवनकाल में जाना और जमीन अलग अलग होना बताया है।

18. वादी पक्ष जो कि वादग्रस्त सम्पत्तियों को उनकी पैत्रिक कृषिभूमि होना अभिकथित कर रहे हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि पैत्रिक भूमि होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के नाम पर दर्ज हो ऐसा कोई भी दस्तावेज वादीगण की ओर से पेश नहीं किया गया है। निश्चित तौर से यदि वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वरूप पैत्रिक सम्पत्ति का था तो इस संबंध में भूमि के अधिकार से संबंधित दस्तावेज वादी पक्ष के द्वारा पेश किया जाकर इस तथ्य की पुष्टि कराई जा सकती थी। वादी पक्ष के द्वारा जो खसरा वर्ष 2013-14 प्र.पी. 3 पेश किया गया है जिसके आधार पर वादग्रस्त सम्पत्ति वादीगण की पुस्तैनी सम्पत्ति होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

19. किसी भी तथ्य के संबंध में स्वीकारोक्ति एक सारवान साक्ष्य होती है एवं स्वीकृत किए गए बिन्दुओं को विश्वसनीय माना जाएगा, जबतक कि उसे अन्यथा न प्रमाणित किया जाए। जैसा कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नाथूलाल वि० दुर्गाप्रसाद ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 355 में अवधारित किया गया है। वर्तमान प्रकरण में वादी रामशंकर के द्वारा स्पष्ट रूप से की गई स्वीकारोक्ति के परिप्रेक्ष्य में कि उनके मध्य सम्पत्तियों का बँटवारा होकर अलग अलग प्राप्त हो चुका है और उनका अलग अलग स्वत्व व आधिपत्य निहित होना स्पष्ट होता है। वादग्रस्त सम्पत्तियों का स्वरूप पैत्रिक सम्पत्ति का न होकर पक्षकारों को अलग अलग प्राप्त होने से उसका स्वरूप स्वअर्जित सम्पत्ति का होगा।

20. जहाँ तक वादग्रस्त सम्पत्ति पैत्रिक होकर उस पर वादीगण के काबिज होने का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैत्रिक सम्पत्ति होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। इस बिन्दु पर यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं वादी रामशंकर के द्वारा अपने कथन कंडिका 11 में स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि बृजमोहन के जीवनकाल में उनके हिस्से की खेती वही करवाते थे। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त सम्पत्तियों पर वादीगण का कोई आधिपत्य होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण वादी पक्ष के द्वारा पेश नहीं किया गया है। जैसा कि इस संबंध में वादी के द्वारा कंडिका 14 में स्वीकार किया गया है। वादी रामशंकर के द्वारा यह बताया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति जो कि सिंचित भूमि है उसकी आपासी (सिंचाई का पैसा) उसके द्वारा भरा जाता है, किन्तु इस संबंध में कि उसकी आपासी उसके द्वारा भरी जाती है अथवा उक्त भूमि का लगान उसके द्वारा दिया जाता है इस बावत् भी कोई दस्तावेज

वादी पक्ष के द्वारा पेश नहीं किया गया है।

21. उक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि स्वयं वादी रामशंकर इस बात को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति बटवारा होने के पश्चात् बृजमोहन के हिस्से में आई थी और इस बात को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उनके जीवनकाल में वही उस पर खेती करवाते थे। इस बिन्दु पर वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी रामप्रकाशसिंह वा0सा0 4 और देवेन्द्रसिंह वा0सा0 5 के कथन के आधार पर उस पर वादीगण का आधिपत्य होना मान्य नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी देवेन्द्रसिंह भी विवादित जमीन बृजमोहन के द्वारा जुताए जाना कंडिका 3 में बताया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त सम्पत्ति बटवारा होने के पश्चात् बृजमोहन के आधिपत्य में आई और बृजमोहन के पश्चात् उसकी वारिस उसकी पत्नी बालाश्री का उस पर आधिपत्य हुआ जो कि अपने पति के पश्चात् उनकी उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 1 बालाश्री का आधिपत्य प्राप्त होना स्पष्ट होता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त भूमियाँ वादीगण की पैत्रिक सम्पत्ति होना नहीं पायी जाती है। वादग्रस्त कृषि भूमियों पर वादीगण का आधिपत्य होना भी प्रमाणित नहीं है। तदनुसार बिन्दु क्रमांक 1 व 2 का निराकरण का उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 3:-

22. वादीगण के द्वारा अपने अभिवचन में यह बताया है कि उनके बड़े भाई बृजमोहन शर्मा अपने छोटे भाईयों पर विशेष स्नेह करते थे। बृजमोहन शर्मा के कोई भी पुत्र पुत्री संतान नहीं है, मात्र उनकी पत्नी बालाश्री है। वह शारीरिक रूप से कमजोर थे। पुस्तैनी सम्पत्ति खुर्द-बुर्द न हो और कोई विवाद उत्पन्न न हो इस कारण अपने भाईयों से विशेष स्नेहबस उन्होंने विवादित भूमियों को दिनांक 10.01.2012 की बसीयत के द्वारा उसका व्यवस्थापन कर दिया था। बसीयत की व्यवस्था के अनुसार बृजमोहन की मृत्यु जो कि दिनांक 17.07.2012 को हुई है उनकी पत्नी प्रतिवादी क्रमांक 1 बालाश्री का नाम उक्त भूमि पर दृश्यमान स्वामी के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम दर्ज कर दिया गया, लेकिन कब्जा वादीगण का ही रहा है और वही उस पर बृजमोहन के द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार खेती करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमियों के संबंध में बृजमोहन के द्वारा अपने जीवनकाल में बसीयतनामा निष्पादित कर उसका व्यवस्थापन करना और बसीयतनामे के आधार पर उनकी व्यवस्था के अनुसार उनके भू-स्वामित्व अधिकार एवं आधिपत्य उस पर होना अभिकथित किया है।

23. उपरोक्त संबंध में वादी रामशंकर वा0सा0 1 के द्वारा इस संबंध में किए गए

अभिवचनों का समर्थन करते हुए अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि उनके बड़े भाई बृजमोहन जो कि अपने भाईयों से विशेष स्नेह रखते थे। बृजमोहन का विवाह प्रतिवादी क्रमांक 1 बालाश्री के साथ हुआ था, किन्तु उन्हें कोई पुत्र व पुत्री संतान नहीं हुई। उनकी पुस्तैनी खुर्द बुर्द न हो और उस पर कोई विवाद उत्पन्न न हो इस कारण अपने जीवनकाल में ही विवादित भूमियों का दिनांक 10.01.2012 को बसीयत के जरिए व्यवस्थापन कर दिया था और बसीयत की व्यवस्था के अनुसार विवादित भूमियों पर बृजमोहन के जीवनकाल से वह काबिज थे। बृजमोहन की मृत्यु दिनांक 17.07.2012 को हो गई और बृजमोहन के द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार उनकी पत्नी प्रतिवादी क्रमांक 1 बालाश्री का नामांतरण विवादित भूमियों पर कर दिया गया, किन्तु उस पर आधिपत्य बसीयत में की गई व्यवस्था के अनुसार वादीगण का ही रहा है, विवादित भूमियों पर वादीगण का हक एवं आधिपत्य निहित है। इस संबंध में वादी के द्वारा लिखित वसीयतनामा दिनांक 10.01.2012 जो कि प्र.पी. 2 का पेश किया गया है। वादी पक्ष के द्वारा वसीयतनामा के साक्षी रामदास वा०सा० 2, संग्राम शर्मा अ०सा० 3 एवं वसीयतनामा को ड्राफ्टकर्ता अभिभाषक अवधविहारी पारासर वा०सा० 6 के कथन कराए हैं जो कि साक्षी अवधविहारी पारासर ने वसीयतनामा प्र.पी. 2 का ड्राफ्ट बृजमोहन शर्मा के द्वारा उनके पास आकर उसके कहने पर तैयार करना और प्र.पी. 2 पर उनके सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना तथा बी से बी भाग पर बृजमोहन के हस्ताक्षर होना बताया है।

24. इस संबंध में वसीयतनामा के साक्षी रामदास शर्मा वा०सा० 2, संग्राम वा०सा० 3 के द्वारा यह बताया गया है कि बृजमोहन शर्मा ने अपने जीवनकाल में अपनी कृषि भूमि एवं अपनी समस्त जायदाद की व्यवस्था वसीयत के द्वारा की थी जो कि दिनांक 10.01.2012 को वसीयतनामा अवधविहारी पारासर अधिवक्ता के सामने लिखा गया था जिस पर उन्होंने भी गवाही के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। साक्षी रामदास शर्मा प्र०पी० 2 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी सरनाम शर्मा के प्र.पी. 2 के ई से ई भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

25. उपरोक्त संबंध में प्रतिवादी बालाश्री प्र०सा० 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उसकी जानकारी में कभी भी कोई वसीयत वादीगण के हक में उसके पति के द्वारा नहीं किया गया। विवादित जमीन हड़पने की नियत से उसके पति की मृत्यु के पश्चात् फर्जी वसीयतनामा तैयार कराया गया है। वसीयतनामा बाद में तैयार कराया जाना प्रतिवादी साक्षी शैलेस प्रा०सा० 2 के द्वारा भी बताया गया है।

26. वादीगण अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि प्र.पी. 2 का वसीयतनामा जो कि स्वर्गीय बृजमोहन के द्वारा अपने जीवनकाल में स्वेच्छया पूर्वक निष्पादित किया गया

है। उक्त वसीयतनामा बृजमोहन के द्वारा लिखा गया होना वसीयत के ड्राफ्टकर्ता अवधविहारी पारासर वादी साक्षी क्रमांक 6 के द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा उसे वसीयतकर्ता के अनुप्रमाणक साक्षी संग्राम शर्मा वा0सा0 3 के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। इस संबंध में बृजमोहन जो कि वसीयतनामा निष्पादित करने हेतु सक्षम थे और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63(ग) तथा साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 68 के अनुसार वसीयतनामा सम्यक् रूप से सावित हुई है। ऐसी दशा में वसीयतनामा मान्य की जाए और उसके आधार पर वादीगण को विवादित भूमि का अधिकार प्राप्त होगा। इस बिन्दु पर वादी की ओर से 1999 राजस्व निर्णय 279 रवि शंकर व अन्य वि0 राजेन्द्र कुमार दुवे व अन्य, 2003 राजस्व निर्णय 195 भैरवप्रसाद वि0 भोलाप्रसाद, पेश किये गए हैं और यह व्यक्त किया कि वादीगण के द्वारा वसीयतनामे को विधिवत प्रमाणित कराया गया है और वसीयतनामे के आधार पर की गई व्यवस्थापन जो कि स्वर्गीय बृजमोहन के द्वारा किया गया है उसे मान्य करते हुए वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त है।

27. वसीयत को साबित करने का भार वसीयतदार (वसीयत प्राप्तकर्ता) जो कि संपत्ती को प्राप्त कर रहा है पर होता है। उससे वसीयत को कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार तथा वसीयत के संबंध में किसी भी संदेहास्पद परिस्थितियों के अभाव में उसके निष्पादन को प्रमाणित करना होता है। उसको न्यायालय के समक्ष यह समाधान करना होगा और प्रत्येक ऐसी परिस्थिति जिससे कि वसीयत के निष्पादन पर संदेह है उससे उसका समाधान करना होता है। वसीयत जिसका कि क्रियान्वयन वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद होता है और वास्तव में वह उसकी अन्तिम इच्छा है अथवा नहीं इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना और इस संबंध में किसी भी संदेहास्पद स्थिति का समाधान कराया जाना आवश्यक है।

28. वादी रामशंकर वादी साक्षी कं01 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उनके बड़े भाई बृजमोहन शर्मा के पक्ष में वसीयत करने के संबंध में बताया है। उसके कथन के अनुसार उनके भाई बृजमोहन शर्मा अपने भाईयों से स्नेह करते थे तथा उनकी कोई पुत्र एवं पुत्री संतान नहीं थी मात्र उनकी पत्नी प्रतिवादी कं01 बालाश्री थी। बृजमोहन शर्मा शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी पुस्तेनी संपत्ती खुरद बुर्द न हो और उस पर कोई विवाद उत्पन्न न हो इस कारण अपने भाईयों से विशेष स्नेह की वजह से अपने जीवन काल में दिनांक 10-1-12 को विवादित पुस्तेनी कृषि भूमि की वसीयत के द्वारा व्यवस्था की थी। वसीयत की व्यवस्था के अनुसार वादीगण अपने जीवन काल में उनकी भूमियों पर काबिज थे। दिनांक 17-7-2012 को बृजमोहन की मृत्यु हो गयी। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रतिवादी कं01 बालाश्री का नाम विवादित भूमियों पर राजस्व

अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया लेकिन कब्जा वादीगण का है जो कि स्व0 बृजमोहन के द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार किया गया है। वादी के द्वारा वसीयत नामा दिनांक 10-1-12 प्र0पी0 2 जो कि बृजमोहन के द्वारा उसके एवं उसके अन्य भाईयों बृजकिशोर, ओमप्रकाश और राधेश्याम के हक में निष्पादित किया जाना बताते हुये पेश किया है।

29. वादी की ओर से वसीयत नामा प्र0पी0 2 के संबंध में उक्त दस्तावेज प्र0पी0 2 के ड्राफ्टकर्ता अवध विहारी पाराशर अ0सा06 तथा प्र0पी0 2 के अनुप्रमाणक साक्षी रामदास वा0सा02 तथा संग्राम बा0सा03 के कथन कराये हैं। जो कि साक्षी अवध बिहारी पाराशर वा0सा06 के द्वारा बृजमोहन शर्मा उनके पास आना और उनके कहने पर उनके द्वारा वसीयत नामा प्र0पी0 2 का ड्राफ्ट तैयार करना और उस पर अपने हस्ताक्षर सी से सी भाग पर होना और उनकी सील लगी होना तथा बृजमोहन के द्वारा बी से बी भाग पर हस्ताक्षर करना बताया है। वसीयत के साक्षी रामदास वा0सा02, संग्राम वा0सा03 ने भी अपने साक्ष्य कथन में प्र0पी0 2 की वसीयत नामे की लिखा पढी उनके सामने होना बताया है जो कि बृजमोहन शर्मा ने अपने भाईयों के पक्ष में लिखा गया था। साक्षी रामदास वसीयतनामा के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना तथा बी से बी भाग पर बृजमोहन शर्मा के हस्ताक्षर होना बताया है। इस प्रकार साक्षी संग्राम शर्मा वा0सा03 के द्वारा भी बृजमोहन शर्मा के द्वारा वसीयत नामा अपने भाईयों के पक्ष में लिखा जाना बताया है और प्र0पी0 2 पर ई से ई भाग पर अपने हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है।

30. इस प्रकार वसीयतनामा के संबंध में उसके ड्राफ्टकर्ता तथा अनुप्रमाणिक साक्षियों के द्वारा वसीयतनामा के निष्पादन के तथ्य को अपने साक्ष्य में बताया है। इस संबंध में जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि वसीयतनामा को प्रमाणित मानने एवं उसके आधार पर किसी पक्षकार को कोई अधिकार प्राप्त होने के संबंध में वसीयतदार (वसीयत प्राप्तकर्ता) को यह प्रमाणित करना पड़ता है कि वसीयत के समय वसीयतकर्ता मानसिक रूप से ठीक था या नहीं और उसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार वसीयत की गई है या नहीं और वसीयत के संबंध में किसी भी संदेह की परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में वादी की ओर से प्रस्तुत वसीयतनामों के संबंध में उसके एवं उसके द्वारा वसीयतनामा प्र0पी0 2 के संबंध में बताये गये उपरोक्त साक्षियों के कथनों के संबंध में उनके प्रतिपरीक्षण उपरान्त आये हुये कथनों पर विचार किया जाना तथा वसीयत के संबंध में उसकी संदेह की स्थिति को स्पष्ट किया जाना भी आवश्यक है, जिससे कि इस संबंध में कोई संदेह न रहे कि वसीयत वास्तव में बृजमोहन के द्वारा ही लिखी गयी हो अथवा नहीं।

31. उपरोक्त संबंध में प्रतिवादी बालाश्री प्र0सा0 1 के द्वारा वादग्रस्त भूमियों के

संबंध में वादीगण के हक में कोई भी वसीयतनामा निष्पादित करने से इन्कार करते हुये यह अभिकथन किया है कि विवादित जमीन हड़पने की नियत से उसकी मृत्यु के पश्चात् और उसके द्वारा अपने स्वामित्व की जमीन बिक्रय करने के पश्चात् फर्जी वसीयतनामा तैयार किया गया है। प्रतिवादिया के उपरोक्त बिन्दु पर किए गए कथन को कोई चुनौती वादी के द्वारा उसके प्रतिपरक्षण के दौरान नहीं दिया गया है।

32. इस संबंध में यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि वसीयतनामा प्र.पी. 2 के संबंध में वादीगण की ओर से वसीयतनामे के द्राप्तकर्ता अवधविहारी पारासर वा०सा० 6 तथा वसीयत के अनुप्रमाणक साक्षी रामरास वा०सा० 2 व संग्राम शर्मा वा०सा० 3 के कथन कराए हैं, जिन्होंने कि अपने कथन में बृजमोहन के द्वारा अपने जीवनकाल में प्र.पी. 2 के अनुसार वसीयतनामा निष्पादित किए जाने के संबंध में बताया गया है। इस संबंध में कि क्या प्र.पी. 2 का वसीयतनामा बृजमोहन के द्वारा ही अंतिम इच्छा के रूप में लिखा गया है और वास्तव में वह मृतक बृजमोहन के द्वारा निष्पादित वसीयत होने के तथ्य के संबंध में प्रतिवादी के द्वारा अपने तर्क के दौरान जो आधार लिये गए हैं और जिनका स्पष्टीकरण न्यायालय की राय के अनुसार उक्त वसीयतनामे को सही मानने के पूर्व वादीगण से कराया जाना आवश्यक है उसके उपरांत ही वसीयतनामे को बृजमोहन की अंतिम इच्छा मानते हुए उसे सही होना माना जा सकता है। इस संबंध में जिन बिन्दुओं का स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है वह निम्न प्रकार से हैं:-

(i) वसीयत की गई सम्पत्ति के संबंध में अस्पष्टता :-

33. लिखतम वसीयतनामा प्र.पी. 2 में जो कि बृजमोहन के द्वारा वादीगण के हित में लिखा जाना बताया गया है इसमें उसकी कृषि भूमि एवं चल अचल सम्पत्ति की व्यवस्था हेतु वर्तमान वसीयत करने का उल्लेख है। उक्त वसीयतनामे में वसीयतकर्ता की कृषि भूमि ग्राम चन्दोखर में होने का उल्लेख आया है, किन्तु कितनी कृषि भूमियाँ उसकी ग्राम चंदोखर में हैं और कितनी भूमियों का वह वसीयत लिख रहा है ऐसा कहीं भी प्र.पी. 2 में उल्लेखित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य चल अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करने बावत् वसीयतनामा में प्रारंभ में ही उल्लेख किया गया है, किन्तु अन्य अचल या चल सम्पत्ति के संबंध में वसीयतनामा में कोई भी वर्णन नहीं है। किन कारणों एवं परिस्थितियों में अन्य चल एवं अचल सम्पत्तियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है यह विचारणीय है?

34. उपरोक्त संबंध में वसीयतनामा के द्राप्तकर्ता अवधविहारी पारासर अ०सा० 6 के कथन महत्वपूर्ण है जिसमें यह बताया है कि वसीयतकर्ता उसके पास खुद कागज और किताब लेकर आए थे, उन्होंने वसीयत में सर्वे नम्बर नहीं लिखे थे। कुल जमीन का रकवा बृजमोहन

के बताए अनुसार लिखा था। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्र.पी. 2 के दस्तावेज में कहीं भी बृजमोहन की कुल कितनी कृषि भूमि है इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं आया है। निश्चित तौर से यदि बृजमोहन अपनी भूमि के संबंध में दस्तावेज एवं कागजात लेकर गया था और उसके द्वारा अपनी कृषि भूमि का रकवा बताया गया होता तो इसका उल्लेख प्र.पी. 2 में अवश्य होता।

35. इस बिन्दु पर वसीयतनामे के साक्षीगण रामदास वा0सा0 2 तथा संग्राम शर्मा वा0सा0 3 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि बृजमोहन शर्मा ने अपने जीवनकाल में अपनी कृषि भूमि एवं समस्त जायदाद की व्यवस्था कर दी थी और उनके द्वारा मुख्य परीक्षण में बृजमोहन की 16 बीघा कृषि भूमि होना बताया है, किन्तु इस संबंध में प्र.पी. 2 की वसीयत में कहीं भी बृजमोहन के द्वारा कृषि भूमि का कोई रकवा वर्णित नहीं है। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि बृजमोहन के नाम पर वादग्रस्त सम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य कृषि भूमियाँ भी हैं जो कि खसरा प्र.पी. 3 से स्पष्ट है कि बृजमोहन के नाम पर खसरा क्रमांक 151 रकवा 0.140, खसरा क्र. 153 रकवा 0.470, खसरा क्र. 180 रकवा 0.280, खसरा क्र. 196 रकवा 1.180, खसरा क्र. 795 रकवा 0.790, खसरा क्र. 1237 रकवा 0.100, खसरा क्र. 1546/1 रकवा 0.200, खसरा क्र. 1547 रकवा 0.490, खसरा क्र. 2090 रकवा 0.280 की कृषि भूमियाँ हैं। जबकि अनुप्रमाणक साक्षीगण 16 बीघा कृषि भूमि होना और उसको ही विवादित होना बता रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी जायदाद का उल्लेख वसीयतनामा प्र.पी. 2 में नहीं है, किन्तु किन कारणों एवं परिस्थितियों में अन्य चल या अचल सम्पत्ति जो कि बृजमोहन के हिस्से में मकान या अन्य चल सम्पत्तियाँ भी हो सकती हैं उनके संबंध में कोई उल्लेख न करते हुए केवल यह अस्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ग्राम चंदोखर की पुस्तैनी कृषि भूमि की व्यवस्था वह कर रहा है जो कि प्रतिवादी के द्वारा उठाए गई आशंका कि प्र.पी. 2 का वसीयतनामा बृजमोहन की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा पत्नी प्रतिवादी क्रमांक 1 बालाश्री जो कि उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी हुई उसके द्वारा अपने स्वामित्व की कुछ भूमियाँ बिक्रय करने के पश्चात् बाद में वसीयतनामा निष्पादित कर लिया गया हो इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(ii) वसीयतनामा लिखे जाने के संबंध में साक्षियों के कथनों में विरोधाभास—

36. वसीयतनामा का ड्राफ्ट जो कि अवधविहारी पारासर वा0सा0 6 के द्वारा लिखा जाना बताया गया है, इस संबंध में साक्षी अवध विहारी पारासर वा0सा0 6 अपने कथन कंडिका 2 में बताया है कि वसीयतनामा का ड्राफ्ट उसने हाथ से लिखकर पक्षकार को दे दिया था और

पक्षकार टाइप कराकर ले आया था। कंडिका 3 में इस बात को स्वीकार किया है कि वसीयत ड्राफ्ट करने के बाद कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि वसीयतनामा उनके द्वारा ड्राफ्ट नहीं किया गया। उपरोक्त बिन्दु पर वादी साक्षी रामदास वा0सा0 2 जो कि वसीयतकर्ता के साथ वसीयत के समय जाना एवं उसके साथ मौजूद होना बताया गा है और जो कि बृजमोहन उसे ऑटो बगैरह से अपने साथ गोहद लाना कंडिका 8 में बताया है। उक्त साक्षी के द्वारा वसीयतनामा वकील साहब (अवधविहारी पारासर) के यहाँ लिखा जाना बताया है। वसीयतनामा कहीं टाइप हुआ इस बारे में उसे जानकारी न होना बता रहा है और वकील साहब के द्वारा ही वसीयत टाइप करवाया होगा यह साक्षी अभिकथित कर रहा है। वसीयतनामा सादे कागज पर लिखा गया होना साक्षी बता रहा है। वसीयत का कोई रजिस्ट्री या पंजीयन होने के संबंध में जानकारी न होना वह अभिकथित कर रहा है। निश्चित तौर से यदि उक्त साक्षी बृजमोहन के साथ ही गया था तो किन कारणों से वह इस स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि वसीयतनामा कहीं टाइप हुआ था और वह पंजीयन हुआ था या नहीं। उक्त साक्षी वसीयतनामा कार्तिक महीने में लिखा जाना अभिकथित कर रहा है, जबकि कार्तिक का महीना साधारणतः अंग्रेजी के अक्टूबर नम्बर माह में आता है।

37. इस बिन्दु पर वसीयत के अन्य साक्षी संग्राम शर्मा वा0सा0 3 के द्वारा वसीयत करने के दो दिन पहले बृजमोहन ने उसे वसीयत करने के बारे में बताया था। कंडिका 11 में साक्षी बताया है कि उसका सम्पूर्ण वसीयतनामा टंकण नहीं हुआ था और वसीयत को अवधविहारी पारासर वकील साहब ने टाइप कराया था जो कि बृजमोहन ने बोला था तभी अवधविहारी पारासर ने टाइप कराया था और इस बात से इन्कार किया है कि अवधविहारी पारासर वकील साहब ने हाथ से लिखकर बृजमोहन को टाइप करवाने के लिए दे दिया था। उक्त साक्षी कंडिका 9 में आए हुए कथन महत्वपूर्ण है जिसमें कि उसने यह बताया है कि बृजमोहन ने अपनी मृत्यु के दो साल पहले वसीयतनामा लिखवाया था। उक्त साक्षी जो कि पढालिखा मिडिल पास है और जो मुख्य परीक्षण में वसीयतनामा लिखे जाने की तारीख भी बताया है और वसीयतकर्ता के गांव का ही रहने वाला है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वसीयतनामा दिनांक 10.01.2012 को लिखा गया है और बृजमोहन की मृत्यु दिनांक 17.07.2012 को हो गई है। इस प्रकार वसीयतनामा लिखे जाने के 6 महीने के अंदर बृजमोहन की मृत्यु होना स्पष्ट है, जबकि उक्त साक्षी बृजमोहन की मृत्यु के 2 साल पहले वसीयत लिखे जाने की बात बता रहा है जो कि उसके कथनों में वसीयतनामा लिखे जाने के संबंध में महत्वपूर्ण विसंगति है।

38. इस प्रकार जबकि वसीयत का ड्राफ्टकर्ता अवधविहारी पारासर अ0सा0 6

के द्वारा यह बताया गया है कि वसीयत का उन्होंने केवल ड्राफ्ट हाथ से लिखकर पक्षकार को दे दिया था जिसे कि पक्षकार टाइप कराकर लाया था, जबकि वसीयतनामा के साक्षी संग्राम शर्मा वा0सा0 3 के द्वारा यह बताया जा रहा है कि अवधविहारी पारासर वकील साहब ने हाथ से लिखकर बृजमोहन को टाइप करने के लिए कोई भी कागज नहीं दिया था, बल्कि अवधविहारी पारासर ने स्वयं टाइप करवाया था। जबकि वसीयत का अन्य साक्षी रामदास शर्मा जो कि उस समय मौजूद था वसीयतनामा कहाँ टाइप हुआ इस बारे में कोई जानकारी न होना बता रहा है। इस प्रकार वसीयतनामा के ड्राफ्टकर्ता व वसीयत के साक्षियों के कथनों में वसीयत लिखे जाने के संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास आया है जिसका भी कोई स्पष्टीकरण वादीगण के द्वारा नहीं दिया गया है।

(iii) वसीयतनामा में लिखी हुई विषयवस्तु एवं उल्लेख के संबंध में साक्षियों के कथनों में विरोधाभास :-

39. वसीयतनामा प्र.पी. 2 में इस बात का उल्लेख है कि वसीयतकर्ता की पुत्र या पुत्री संतान नहीं है और मात्र उसकी पत्नी श्रीमती बालाश्री बाई है। वसीयतकर्ता के बाद उसकी कृषि भूमि पर उसकी पत्नी बालाश्री अपने नाम पर कराकर उस पर खेती चारो सगे भाईयों से कराएगी और अपने जीवन पर्यन्त चारों भाईयों से खेती कराकर अपना भरण-पोषण करेगी और उसके सभी सगे भाई उसकी पत्नी की देखरेख तथा व्यवस्था करेंगे और इस बात का भी उल्लेख है कि पत्नी की मृत्यु के बाद कृषिभूमि को चारों भाई समान भाग से बराबर बराबर अपने नाम से करने के अधिकारी होंगे। उपरोक्त संबंध में वसीयतनामा के साक्षी रामदास वा0सा0 2 जो कि वसीयतनामा में क्या लिखा गया था इस बारे में उसे जानकारी न होना बता रहा है, किन्तु साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि वसीयतनामा में इस बात का उल्लेख बृजमोहन ने नहीं कराया था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी कृषि भूमि को उसकी पत्नी बालाश्री नाम कराकर कृषि करेगी। इस संबंध में वसीयतनामा प्र.पी. 2 के सी से सी भाग "धर्म पत्नी.....भूमि पर खेती करने" वाली बात बृजमोहन के द्वारा न लिखाना और वह कैसे लिख गई इसका कोई कारण न बता पाना अभिकथित किया है और इस बात की भी उसे जानकारी न होना बता रहा है कि वसीयतनामा पर इस बात का उल्लेख बृजमोहन के द्वारा कराया गया है कि उसकी पत्नी बालाश्री की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति व भूमि पर उसके चारों भाईयों समान भाग के नामांतरण करने के अधिकारी होंगे। साक्षी के द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि उसे बृजमोहन ने यह बात नहीं बताई कि वह वसीयत किस के नाम से कर रहा है। उक्त साक्षी जो कि वसीयतकर्ता के साथ ही गांव से जाना अभिकथित कर रहा है जो कि वसीयत में क्या उल्लेख किया इस बारे में भी उसे जानकारी होना बता रहा है, इसके

उपरांत भी वसीयत किस के नाम पर बृजमोहन ने लिखा गई इस बात की जानकारी बृजमोहन के द्वारा उसे न देना बता रहा है जो कि उसका कथन अस्वभाविक लगता है।

40. इस बिन्दु पर अन्य साक्षी संग्राम शर्मा वा0सा0 3 के द्वारा भी कंडिका 11 में यह बता नहीं लिखाई गई थी कि उसकी मृत्यु के बाद कृषि भूमि पर उसकी पत्नी बालाश्री बाई अपने नाम कराएगी और यदि वसीयतनामा प्र.पी. 2 में सी से सी भाग पर उक्त बात लिखी हो तो वह गलत है और वसीयतनामा पर बृजमोहन के द्वारा यह बात नहीं लिखाई गई थी कि उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी कृषि भूमि को उसके चारों भाई बराबर बराबर भाग में बांट लेंगे। यदि वसीयतनामा प्र.पी. 2 में डी से डी भाग में उक्त बात लिखी हो तो वह गलत है।

41. उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वसीयतनामा के ड्राफ्टकर्ता अवधविहारी पारासर वसीयतनामा प्र.पी. 2 में सी से सी एवं डी से डी भाग की बात वसीयतकर्ता के द्वारा बताना एवं उसके बताए अनुसार ही उसे लेखबद्ध करना बताया है, जबकि वसीयत के साक्षीगण रामदास और संग्राम जिन्होंने कि वसीयत लिखे जाने के बाद उसे पढ़ने और वसीयत में क्या लिखा गया है इस बारे में जानकारी होना स्वीकार किया है, किन्तु उक्त साक्षियों के द्वारा वसीयतनामे में सी से सी एवं डी से डी भाग की बातें लिखे होने की बात से इन्कार किया है। इस प्रकार वसीयतनामा में लिखी गई विषयवस्तु एवं उल्लेख के संबंध में उसके ड्राफ्टकर्ता एवं वसीयत के साक्षियों कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास आना स्पष्ट होता है। उक्त विरोधाभास के संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है।

(iv) वसीयतकर्ता बृजमोहन की शारीरिक और मानसिक दशा एवं उसके द्वारा वसीयत लिखते समय उसके साथ में आए व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टता नहीं आई है :-

42. प्र.पी. 2 के वसीयतनामे में जो कि बृजमोहन शर्मा के द्वारा लिखा जाना बताया जा रहा है, इस बात का उल्लेख है कि वह अधिकतर बीमार रहता है और उसकी देख रेख एवं व्यवस्था उसके भाई करते हैं इस कारण वह अपनी सम्पूर्ण भूमि एवं चल अचल सम्पत्ति की व्यवस्था हेतु वसीयत कर रहा है। इस संबंध में वसीयत प्राप्तकर्ता रामशंकर शर्मा के द्वारा अपने कथन में यह बताया गया है कि उसके भाई बृजमोहन शरीरिक रूप से कमजोर थे इस कारण अपनी सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा वसीयतनामा लिखा गया था। कंडिका 12 में साक्षी बता रहा है कि बृजमोहन अपनी मृत्यु के 10-20 वर्ष पूर्व से बीमार रहते थे। वह बृजमोहन को कभी इलाज के लिए नहीं ले गया था। उन्हें खाना कम पचने व कमर दर्द की

बीमारी थी। इसके अलावा अन्य कोई बीमारी नहीं थी। उनकी बीमारी के संबंध में कोई मेडीकल आदि पेश नहीं किया है। कंडिका 13 में यह बताया है कि बृजमोहन चल फिर नहीं पाते थे और वह यह नहीं बता सकता है कि बृजमोहन को वसीयत लिखाने के लिए गोहद कौन लेकर आया था। वादी अपने अभिवचन में बृजमोहन के उनके साथ ही रहने और उसकी भूमि को उनके द्वारा ही जोता जाना और उनकी देख रेख करना बता रहा है, जबकि वसीयतनामा लिखवाने हेतु बृजमोहन को कौन लाया था इस संबंध में जानकारी न होना अपने कथन में अभिकथित कर रहा है।

43. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि वसीयतनामा के ड्राफ्टकर्ता अवधविहारी पारासर जो कि एक स्वतंत्र व्यक्ति है के द्वारा यह बताया गया है कि उसके पास वसीयतकर्ता और उसके साथ एक दो लोग और आए थे जो कि उसके भाई भतीजे होना कह रहे थे। ऐसी दशा में वादी का यह कथन कि वसीयतनामा कराने के लिए बृजमोहन शर्मा के साथ कौन कौन आया था इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं हो यह अस्वभाविक लगता है, विशेषकर जब कि साक्षी यह अभिकथित कर रहा है कि बृजमोहन चलफिर नहीं पाते थे। इस दशा में जबकि बृजमोहन की देखरेख आदि उसके जीवनकाल में उनके द्वारा ही की जानी बताई जा रही है यह अस्वभाविक लगता है कि उनके साथ परिवार का कोई भी सदस्य अर्थात् भाई भतीजा न आया हो, जबकि वसीयत का ड्राफ्टकर्ता यह स्पष्ट बता रहा है कि जो लोग उनके साथ आए थे भाई एवं भतीजे होना कह रहे थे। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण तथ्य को कि वसीयत लिखे जाने के समय बृजमोहन के भाई अर्थात् वादीगण और उनके परिवार के कोई सदस्य नहीं आए थे इस तथ्य को जानबूझकर छिपाया जाना दर्शित होता है। बृजमोहन की बीमारी और मानसिक स्थिति के संबंध में भी कोई प्रमाण कि किस प्रकार की बीमारी से वह ग्रसित था और उसका इलाज चल रहा था इस आशय का भी कोई प्रमाण वादी पक्ष के द्वारा पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त तथ्य के संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण वादी पक्ष की ओर से नहीं दिया गया है।

(v) वसीयतनामा को बृजमोहन के मृत्यु के पश्चात् हुए नामांतरण की कार्यवाही के समय उसे पेश न करना एवं उसे दावे के पूर्व तक उजागर न करना :-

44. बृजमोजन जिसके द्वारा कि दिनांक 10.01.2012 को वसीयतनामा प्र.पी. 2 लिखाया जाना बताया गया है और दिनांक 17.07.2012 को उसकी मृत्यु हुई है। बृजमोहन की मृत्यु के पश्चात् उसकी कृषि भूमियों का नामांतरण उसकी पत्नी बालाश्री के नाम पर हुआ है जो कि इस संबंध में स्वयं वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा पांच साला प्र.पी. 3 से स्पष्ट

होता है। दिनांक 26.01.2013 को मृतक बृजमोहन के स्थान पर उसकी पत्नी प्रतिवादी क्रमांक 1 बालाश्री का नामांतरण स्वीकार किया गया है जो कि उसका नामांतरण वारिसान आधार पर होने के संबंध में खसरा में उल्लेख आया है। इस बिन्दु पर वादी रामशंकर के द्वारा अपने कथन कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि बृजमोहन की मृत्यु के बाद उनके कृषि भूमि पर उनकी पत्नी बालाश्री का नामांतरण हो गया है जो कि उसके व अन्य भाईयों के द्वारा कराया गया है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि बालाश्री का नामांतरण वारिसान आधार पर हुआ है और वसीयत के आधार पर नहीं हुआ है और इस बात को भी कंडिका 13 में स्वीकार किया है कि वसीयतनामा का उल्लेख किसी भी राजस्व अभिलेख में नहीं है।

45. इस संबंध में निश्चित तौर से यदि बृजमोहन के द्वारा कोई वसीयतनामा अपने जीवनकाल में लिखाया गया था जिसमें कि उसने अपने भाईयों के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया था और अपनी पत्नी को उसके जीवनकाल में विवादित भूमियों में केवल नामांतरण कराकर अपना भरण पोषण का अधिकार दिया गया है तो किन कारणों एवं परिस्थितियों में वसीयतनामा मौजूद होने के उपरांत भी नामांतरण की कार्यवाही के दौरान वादी पक्ष के द्वारा उसे पेश नहीं किया गया यह विचारणीय हो जाता है। इस प्रकार उक्त स्थिति भी वसीयतनामा बृजमोहन के द्वारा ही निष्पादित किये जाने के तथ्य की स्थिति को संदेहास्पद बनाता है जिसका भी कोई स्पष्टीकरण वादीगण के द्वारा उचित रूप से पेश नहीं किया गया है।

46. इस प्रकार वसीयतनामा प्र.पी. 2 के संबंध में उपरोक्त बताई गई संदेहास्पद स्थिति का कोई समुचित स्पष्टीकरण जो कि वादी पक्ष की ओर से किया जाना आवश्यक एवं अपेक्षित है, जैसा कि इस संबंध में ए.आई.आर. 1959 सुप्रीम कोर्ट 443 एच.बैंकटाचला आयरंगर वि० बी.एन.थिम्मजम्मा बगैरह, ए.आई.आर. 2004 राजस्थान 286 बल्लभ उर्फ गिन्नु नारायण वि० श्रीमती गिन्नी देवी, इस संबंध में उल्लेखनीय है, जिसमें कि वसीयतनामे को प्रमाणित मानने के पूर्व प्रत्येक संदेहास्पद स्थिति को वसीयतदार के द्वारा स्पष्टीकरण करने की अपेक्षा की है। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में वादीगण जो कि वसीयतदार है के द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित वसीयत के संबंध में जो संदेहास्पद परिस्थितियाँ आई हैं उनका कोई समाधान पूर्वक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका है जिससे कि उक्त वसीयतनामा वास्तव में स्वर्गीय बृजमोहन के द्वारा ही निष्पादित किया गया, यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

47. प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि वादग्रस्त कृषिभूमि जो कि प्रतिवादी क्रमांक 1 को अपने पति से प्राप्त हुई है। वादग्रस्त भूमियाँ जो कि उसके पति की

स्वअर्जित सम्पत्ति है उस पर वह वर्ग-1 की उत्तराधिकारी होने के आधार पर प्राप्त करेगी और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(1) के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 को उस पर पूर्ण स्वामित्व के अधिकार प्राप्त होंगे। जबकि वादीगण अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादग्रस्त भूमि पर उसके जीवनकाल तक ही अधिकार दिए गए थे इस कारण उसे उक्त भूमियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होंगे और धारा 14(2) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

48. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त कृषि भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का मृतक बृजमोहन के वारिस होने के आधार पर उसके उत्तराधिकार के रूप में वादग्रस्त कृषि भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का स्वामित्व दर्ज हुआ है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि प्र.पी. 2 के वसीयत की व्यवस्थापन बृजमोहन के द्वारा अपने जीवनकाल में किया गया हो तो भी उक्त प्र.पी. 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बृजमोहन के द्वारा अपनी पत्नी प्रतिवादी क्रमांक 1 को कृषि भूमि पर अपना नामांतरण कराकर उसमें अपने जीवन पर्यन्त उसके चारों भाईयों से खेती कराकर भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी ऐसा उल्लेख आया है जो कि प्रतिवादी क्रमांक 1 को सीमित अधिकार दिया गया होना दर्शित होता है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(1) के अनुसार— हिन्दू नारी के कब्जे की कोई भी सम्पत्ति चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न की परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी। उक्त धारा के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि सम्पत्ति के अंतर्गत जंगम और स्थावर सम्पत्ति आती है जो कि हिन्दू नारी बिरासत द्वारा अथवा वसीयत के द्वारा या भरण पोषण के रूप में या दान के द्वारा या अपने कौशल या परिश्रम के द्वारा अथवा कृय द्वारा या चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से वह प्राप्त करती है। धारा 14(2) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी सम्पत्ति जो कि दान अथवा बिल के द्वारा या अन्य किसी लिखत के अधीन अथवा सिविल न्यायालय की डिक्री के आदेश के अधीन या पंचाट के अधीन अर्जित की गई है तो उसमें उपधारा (1) लागू नहीं होती।

49. वर्तमान विवादित सम्पत्ति का जहाँ तक प्रश्न है, विवादित सम्पत्ति के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 को उस पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, बल्कि पति से उत्तराधिकार के रूप में उसे उक्त भूमि पर अधिकार प्राप्त था। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि पति की मृत्यु के पश्चात् पति के वारिस के रूप में प्रतिवादिया क्रमांक 1 का नामांतरण वादग्रस्त भूमि पर भू-स्वामी के रूप में हुआ है

जो कि तथ्य स्वयं वादी के द्वारा भी स्वीकार किया गया है तथा प्र.पी. 3 के दस्तावेज से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस परिप्रेक्ष्य में भी वादग्रस्त भूमि वादिया को प्राप्त होकर धारा 14(1) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उसे विवादित भूमियों पर पूर्ण स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त होंगे।

50. उक्त परिप्रेक्ष्य में बृजमोहन शर्मा के द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 10.01.2012 को वादीगण के पक्ष में वसीयतनामे के निष्पादन करने और उसके आधार पर उसके द्वारा विवादित भूमियों का व्यवस्थापन करने और उक्त वसीयत की व्यवस्था के अनुसार वादीगण को वादग्रस्त भूमियों पर स्वामित्व प्राप्त होना प्रामाणित नहीं पाया जाता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 4:-

51. वादीगण के द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रतिवादी क्रमांक 1 बालाश्री को पूर्ण स्वामी के अधिकार प्राप्त नहीं थे, उसका नाम केवल दृष्यमान स्वामी के रूप में विवादित भूमि पर दर्ज कराया गया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 बालाश्री को किसी प्रकार की कोई वैधानिक आवश्यकता विवादित भूमियों को बिक्रय करने की नहीं थी। प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 5 जो कि बालाश्री के भतीजे हैं उन्होंने बहला फुसलाकर बिना किसी प्रतिफल के दिनांक 18.07.2014 को 70,62,000/- रूपए का मूल्य दर्शाते हुए उक्त भूमियों का बिक्रयपत्र करा लिया है, जबकि उक्त बिक्रयपत्र छल कपट एवं बेईमानी पूर्वक तथा वादीगण के हितों को प्रभावित करते हुए निष्पादित किया गया है जो कि उनके मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य है। जबकि प्रतिवादी पक्ष ने अपने अभिवचन में यह बताया है कि उक्त भूमियों की प्रतिवादी क्रमांक 1 पूर्ण भू-स्वामिनी थी और उसे अपने भू-स्वामित्व की भूमियों को अंतरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था जो कि उसने अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए विधिवत प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 5 के पक्ष में बिक्रयपत्र निष्पादित किया गया है।

52. वादी रामशंकर शर्मा अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में उक्त संबंध में किए गए अभिवचनों का समर्थन करते हुए बिक्रयपत्र दिनांक 18.07.2014 प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा बिक्रय करने का हक न होते हुए भी तथा बिना किसी वैधानिक आवश्यकताओं के और प्रतिफल के बिना दिनांक 18.07.2014 को प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 5 जो कि उसके भतीजे हैं उनके पक्ष में छल कपट और बेईमानी पूर्वक निष्पादित करना बताया है जबकि वादग्रस्त सम्पत्ति पुस्तैनी भूमि थी और उस पर वादीगण का ही आधिपत्य था। वादी के द्वारा

बिक्रयपत्र दिनांक 18.07.2014 की सत्यप्रतिलिपि पेश की गई है जो कि प्र.पी. 1 है।

53. उपरोक्त संबंध में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर वादग्रस्त सम्पत्तियों पर वादीगण का कोई स्वत्व अथवा आधिपत्य निहित होना नहीं पाया गया है। वादग्रस्त भूमि जो कि बृजमोहन के एक मात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य की रही है, बृजमोहन की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकार के आधार पर उसकी विधवा पत्नी प्रतिवादी क्र. 1 बालाश्री को प्राप्त हुई है जो कि उसकी पूर्ण भू-स्वामिनी हो गई। बालाश्री के द्वारा वादग्रस्त भूमियों का पंजीकृत बिक्रयपत्र दिनांक 18.07.2014 को प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 5 के पक्ष में निष्पादित किया गया है जो कि इस संबंध में पंजीकृत बिक्रयपत्र प्र.डी.1(सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 1) है के जरिए प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 5 के पक्ष में बिक्रय किया गया है और उन्हें आधिपत्य दिए जाने का उल्लेख उसमें आया है।

54. वादी पक्ष के द्वारा अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 बालाश्री को कोई भी वैधानिक आवश्यकता वादग्रस्त सम्पत्ति को बिक्रय करने की नहीं थी और बिक्रय का कोई प्रतिफल भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिफल के बिना कोई बिक्रयपत्र वैध नहीं हो सकता है, इस बिन्दु पर वादी पक्ष के द्वारा 1998(1) एम.पी. व्हीकली नोट परमानंद वि० दददनलाल पेश किया है। इस आधार पर बिक्रयपत्र प्रतिफल बिना होने से उसे शून्य होना अभिकथित किया है।

55. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 बालाश्री जो कि वादग्रस्त भूमि की भू-स्वामिनी है उसके द्वारा स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि उसके द्वारा अपने भू-स्वामित्व की भूमियों को अपने स्वयं के खर्चे एवं तीर्थयात्रा व दवाई आदि के खर्चे की आवश्यकता को देखते हुए 70,62,000/- रूपए प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 5 के पक्ष में बिक्रयपत्र कर दिया है। इस संबंध में बिक्रयपत्र प्र.डी. 1 का निष्पादन साक्षी शैलेस प्र०सा० 2 जो कि क्रेता है के द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा उक्त बिक्रयपत्र को रजनीश शर्मा प्र०सा० 3 जो कि बिक्रयपत्र का साक्षी है के द्वारा भी उसके निष्पादन को प्रमाणित किया गया है जो कि बालाश्री के द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर बिक्रयपत्र निष्पादित किया जाना उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 जो कि वादग्रस्त भूमियों की भूस्वामिनी है के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने कथन में उसे बिक्रय के बदले प्रतिफल प्राप्त हो जाना स्वीकार किया है। इस परिप्रेक्ष्य में मात्र इस आधार पर कि उसके द्वारा उक्त प्रतिफल की राशि कहाँ रखी गई यह स्पष्ट न कर पाने के आधार पर ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसे कोई प्रतिफल प्राप्त ही नहीं हुआ था।

56. इस प्रकार वादी पक्ष के द्वारा ली गई इस आपत्ति का कि बिक्रयपत्र वैधानिक आवश्यकताओं के बिना तथा प्रतिफल के बिना बालाश्री के द्वारा निष्पादित किया गया है, किन्तु जबकि बिक्रेता बालाश्री बिक्रयपत्र अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए एवं विधिवत प्रतिफल प्राप्त होना अभिकथित करते हुए निष्पादित करना बता रही है और उसके द्वारा बिक्रयपत्र के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति, आक्षेप नहीं लगाया गया है जो कि प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि की पूर्ण स्वामिनी थी, ऐसी दशा में वादीगण के लिए गए आधार कि वादिया को कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी और उसे कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में बिक्रयपत्र दिनांक 18.07.2014 को वादीगण के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य दस्तावेज होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 6 :-

57. प्रतिवादी पक्ष ने वादी के दावे जो कि वादी ने वादग्रस्त सम्पत्तियों पर स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा और बिक्रयपत्र को शून्य घोषित किये जाने बावत् पेश किया गया है, के संबंध में यह आपत्ति ली गई है कि वादग्रस्त भूमियों पर वादी का दावा दायरी दिनांक को अथवा कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है, उनके द्वारा कब्जे की कोई भी सहायता दावे में नहीं चाही गई है। इस परिप्रेक्ष्य में वादीगण का दावा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है।

58. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। वादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमियों के संबंध में उस पर भू-स्वामी अधिकार एवं आधिपत्य घोषित किए जाने और प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमियों पर उनके कब्जे व कास्त में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न करने से और नामांतरण की कार्यवाही कराने से प्रतिवादीगण को स्थाई रूप से निषेधित किए जाने और बिक्रयपत्र दिनांक 18.07.2014 को शून्य घोषित किए जाने बावत् पेश किया गया है।

59. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं निकाले गए निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैत्रिक सम्पत्ति होनी कहीं प्रमाणित नहीं है और उस पर वादीगण का आधिपत्य होना भी प्रमाणित नहीं है। वादीगण के द्वारा वर्तमान दावे में उनके स्वत्व की घोषणा किये जाने की याचना की गई है, किन्तु वादग्रस्त भूमियों पर कोई भी कब्जा दिलाए जाने के संबंध में कोई अनुतोष उनके द्वारा याचित नहीं किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में जबकि वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण का कब्जा होना नहीं पाया गया है, वादीगण के द्वारा कब्जा बापस दिलाए

जाने की कोई सहायता भी अपने दावे में नहीं चाही गई है। इस परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वर्तमान दावा जो कि कब्जे की सहायता के बिना मात्र घोषण बावत् पेश किया गया है, इस प्रकार का दावा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 के अंतर्गत प्रचलन योग्य ही नहीं पाया जाता है। इस प्रकार वादी का दावा उक्त वैधानिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में प्रचलन योग्य नहीं है। वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 7:-

60. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तथा वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आलोक में जबकि वादीगण के पक्ष में स्वर्गीय बृजमोहन के द्वारा कोई वसीयतनामा दिनांक 10.01.2012 को कोई वसीयतनामा निष्पादित किया जाना अथवा वसीयतनामा के आधार पर अपनी भूमियों का व्यवस्थापना किया जाना प्रमाणित नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति पक्षकारों की पैत्रिक सम्पत्ति होनी भी प्रमाणित नहीं है। उन पर वादीगण का कोई आधिपत्य होना भी प्रमाणित नहीं है। वादीगण के द्वारा आधिपत्य प्राप्त करने के संबंध में कोई सहायता भी नहीं चाही गई है। वादीगण का वर्तमान दावा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अतः वादीगण वादग्रस्त सम्पत्तियों के संबंध में वांछित कोई भी सहायता प्राप्त करने का अधिकारी होने नहीं पाए जाते।

61. तदनुसार वादीगण का वर्तमान दावा प्रमाणित होना न पाते हुए दावा निरस्त किया जाता है। वादीगण अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे, प्रतिवादी का वाद व्यय भी उनके द्वारा वहन किया जाएगा। अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर प्रमाणपत्र अनुसार या सूची मुताबिक जो भी कम हो देय होगा।

उपरोक्तानुसार आज्ञा तैयार की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.